ीम जिला

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 70/2022 तारीख रजू :– 17.06.2022

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री पूजा मीना आर.ए.एस.

1 बदरी पुत्र गंगाराम आयु 75 साल जाति कोली निवासी खानपुर तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

1/1 भौरी देवी बेबा बदरी आयु 74 वर्ष

1/2 रमसी लाल
1/3 रतन लाल
1/4 बाबूलाल
1/5 सुरेश
1/6 कैलाश
1/7 शिम्भूदयाल
1/8 संतोष
} पिसरान बदरी

1/9 प्रेमबाई
1/10 गुड्डी बाई
} पुत्रियॉ बदरी

} समस्त जाति कोली निवासी खानपुर तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर

सायलान

बनाम

1 भम्बल पुत्र गंगाराम आयु 70 साल

2 अशोक आयु 49 साल
3 सतीश आयु 47 साल
4 प्यार सिंह आयु 40 साल
} पि0 भम्बल

} समस्त जाति कोली निवासी खानपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

5 तहसीलदार टोडाभीम तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर (राज0)

गैरसायलान

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मु0नं0 70 / 2022 उनवान बदरी बनाम भम्बल वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी की ओर – सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांक– 19.06.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नवीन खाता संख्या 165 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 467 रकवा 13 ऐयर, 468 रकवा 15 ऐयर, 797 रकवा 1 ऐयर, गैरमुमकिन बोरिंग, 798 रकवा 67 ऐयर, 799 रकवा 67 ऐयर, कुल किता 5 कुल रकवा 1.64 है0 स्थित ग्राम खानपुर तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0) जिसमें सायल 1/2 हिस्से का व गैरसायल नम्बर 1 1/2 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। सायल व गैरसायल नम्बर 1 खास भाई है सायल व गैरसायल नम्बर 1 को आराजी अपने पिता गंगाराम से विरासत में प्राप्त हुई है तथा पिता गंगाराम के मरने के पश्चात उक्त भूमि सायल व गैरसायल नम्बर 1 शामलाती काकश्त करते चले आ रहे है और भूमि का रिकॉर्ड में विधिवत बॅटवारा सायल एवं गैरसायल नम्बर 1 के मध्य नहीं हुआ। गैरसायल नम्बर 2 ता 4 गैरसायल नम्बर 1 के पुत्र है जो उक्त शामलाती भूमि खसरा नम्बर 468 जो सडक के सहारे स्थित है, को जबरन हडपना चाहते है, जबकि सडक के सहारे वाली भूमि खसरा नम्बर 467 व 468 में बतरफ उत्तर व पूर्व से पश्चिम खरा नम्बर 469 व 473 की तरफ सडक के सहारे सायल का 1/2 हिस्से पर काबिज व दंखील चला आ रहा है विधिवत बॅटवारा नहीं होने से गैरसायल नम्बर 1 के मन में सडक सहारे वाली भूमि खसरा नम्बर 468 सायल के हिस्से की भूमि की डौल मेंड को तोडकर स्वयं की भूमि में गैरसायल नम्बर 2 ता 4 के सहयोग से जबरन कब्जा करने की फिराक में रहता है जिसका विरोध करने पर सायल को गैरसायलान बेदखल करने की धमकी देते है, जबकि कानूनन उक्त भूमि सडक सहारे वाली [illegible] 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार एवं काबिज दखल [illegible] गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार से नहीं है। दिनांक 13.06.2022 को [illegible] आराजी भूमि पर आगामी फसल हेतु सूल बबूल साफ कर रहा था व ट्रेक्टर से [illegible] डाल रहा था कि अचानक मौके पर गैरसायल नम्बर 1 गैरसायल नम्बर 2 ता 4 के साथ आया और सायल से बोले कि इस सडक सहारे वाली जमीन से तुम अपना कब्जा हटा लो क्योकि सडक सहारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वाली भूमि खसरा नम्बर 468 पर कब्जा कर इसमें दुकान व प्लॉट काटेगें तो सायल ने कहा कि भाई इस सडक सहारे वाली भूमि पर मेरा भी 1/2 हिस्सा है और तुम अपने 1/2 हिससे पर काबिज हो इसलिये तुम मेरी कब्जे की जमीन को क्यों छीनना चाहते हो और तुम्हारी जमीन शामलाती है इसलिये तुमने व मैने खसरा नम्बर 468 व 467 को मौके पर 1/2–1/2 बांट रकखा है, जिसमें पूर्व से पश्चिम वतरफ दक्षिण तुम्हारा हिस्सा है व पूर्व से पश्चिम वतरफ उत्तर मेरा हिस्सा है, जिसे सुनकर गैरसायल नम्बर 2 ता 4 नाराज हो गये और बोले हम तो सडक सहारे वाली सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 468 में से तुम्हें कोई हिस्सा नहीं देगें क्योकि हमार लट्ठ में ताकत है। सायल ने ऐसा अन्याय नहीं करने का निवेदन किया और गॉव खानपुर के पंच पटेलों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी गैरसायल नंम्बर 1 ता 4 को समझवाया लेकिन गैरसायल नम्बर 1 ता 4 मानने को तैयार नहीं हुये और जबरन सायल को सडक सहारे वाली जमीन खसरा नम्बर 468 से बेदखल कर पुख्ता निर्माण करने की धमकी दी और बॅटवारा कराने स साफ इनकार कर दिया इस प्रकार गैरसायलान को ता फैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान सायल के हिस्से व कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। सायल को अपने हिससे की भूमि को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। सायल को अपने हिस्से की भूमि से ना तो स्वयं बेदखल करने ना ही किसी अन्य से करावे तथा गैरसायलान वादग्रस्त भूमि में बिना विधिवत बॅटवारा एवं रूपान्तरण किये बिना मौके पर किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे और ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे सायल व सायल की आराजी पर विपरीत प्रभाव पडता हो और गैरसायलान इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि का विधिवत बॅटवारा कराये बिना रहन वय व किसी भी प्रकार का अन्तरण नहीं करे मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अधिकतम तथ्यो को अस्वीकार किया तथा विशेष विवरण/काउन्टर क्लेम में अंकित किया कि सायल की आराजी ख0नं0 468 कर कब्जा काश्त नहीं है। खसरा नम्बर 468 ग्राम खानपुर बाहमी बटवारे में गैरसायलान नं0 1 हिस्से में आया है जिस पर गैरसालान नं0 1 काबिज एवम दखील है तथा गैरसायल नं0 1 उसका उपयोग [illegible] 467 वादी के हिस्से में आयी है अब सायल के मन मदयान्ति आ गई तथा वह गैरसालान नं0 1 के कब्जे काश्त आराजी ख0नं0 468 को छीनना चाहता है एवम दबाब बनाने के लिये उक्त दावा पेश किया है तथा आराजीयात को प्रार्थना पत्र में शामिल नहीं किया है। आराजी खसरा नम्बर 468 व अन्य आराजी जो इस खाते की है वाहमी बटवारे में गैरसायलान नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

1 के हिस्से में आयी है जिस पर गैरसायलान नं0 1 का कब्जा काश्त है तथा सायल उक्त आराजी पर कब्जा करने की गरज से यह गलत प्रार्थना पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है खारिज होने योग्य है।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम खानपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 165 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 467 रकबा 0.13 है0, 468 रकबा 0.15 है0, 797 रकबा 0.01 है0, 798 रकबा 0.68 है0,, 799 रकबा 0.67 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.64 है0 मे सायल 1/2 हिस्से के खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा गैरसायल नम्बर 1 का हिस्सा 1/2 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार सायल, गैरसायल का सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि उभयपक्षकारान को पाबन्द नही किया जाता है तो चूँकि उभयपक्ष सहखातेदार है अतः किसी एक को दूसरे के विरूद्ध पाबन्द करना किसी एक पक्ष/उभयपक्ष को क्षति होने की संभावना कारित करता है। अतः उभयपक्षकारान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः उभयपक्षकारान को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम खानपुर तहसील टोडाभीम के खसरा नम्बर 467 रकबा 0.13 है0, 468 रकबा 0.15 है0, 797 रकबा 0.01 है0, 798 रकबा 0.68 है0,, 799 रकबा 0.67 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.64 है0 मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर